राजस्थान पत्रिका
जयपुर, 26 मार्च 2002

कर ढांचे को तर्कसंगत बनाना बेहतर कदम

-जे.डी.अग्रवाल-

सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क संग्रह में गिरावट के चलते केन्द्र के शुद्ध कर राजस्व में 20683 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। इसका कारण औद्योगिक मंदी है। हालांकि गैर कर राजस्व बजट अनुमान से 1510 करोड़ रुपए अधिक रहा।

वर्ष 2002-03 के बजट में उत्पाद शुल्क वृद्धि के आधार पर करीब 6700 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ तथा सीमा शुल्क कटौती के चलते 2200 करोड़ रुपए की राजस्व हानि दिखाई गई है। बजट प्रस्तावों में अप्रत्यक्ष कर राजस्व में वृद्धि होने तथा इसके 143702 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान लगाया गया है।

बजट में प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित प्रस्तावों से 2750 करोड़ रुपए के अधिभार समेत 6000 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ अनुमानित है। इससे प्रत्यक्ष कर राजस्व 91585 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है।केन्द्र की कुल कर राजस्व प्राप्तियां 172965 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है जबकि वित्तीय घाटा 135524 करोड़ रुपए पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 5.3 फीसदी रहने की आशंका है। प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित बजट प्रस्तावों से औद्योगिक वृद्धि को बल मिलेगा तथा कम वेतन वाले कर्मचारियों को खासतौर पर राहत मिलेगी। दस फीसदी के लाभांश कर की समाप्ति अत्यन्त उचित कदम है क्योंकि यह कम्पनियों एवं साझा कोषों के प्रतिकूल था। पिछले वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि लाभ अर्जित करने वाली 80 फीसदी से ज्यादा फर्मों ने लाभांश की घोषणा नहीं की।

इसी तरह अनुमोदित एवं अधिसूचित निकायों जिनमें चिकित्सा एवं शिक्षा संस्थान शामिल हैं, की आय पर प्रदत्त छूटों को वापस नहीं लेना भी सही दिशा में कदम है। वित्त मंत्री ने अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के जरिए कर चोरी एवं कर दायित्व उपेक्षा पर नियंत्रण के लिए कुछ ऊंची राशि के लेन-देनों में आयकर नम्बर 'पेन' का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। ईमानदार वेतनभोगी करदाताओं को न्यूनतम छूट सीमा में वृद्धि के जरिए कुछ रियायतें दी जानी चाहिए थी। सिवाए इसके बजाय वित्तमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पांच फीसदी का अधिभार लगा दिया तथा धारा 88 के तहत छूट को 20 फीसदी से घटा कर 10 फीसदी कर दिया।

प्रत्यक्षतः बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जीवन की गुणवत्ता को सीधे तौर पर प्रभावित करता हो, सिवाए इसके कि इसमें उत्पाद एवं सीमा शुल्कों को तर्कसंगत बनाया गया है तथा लाभांश कर से सम्बन्धित विसंगतियां दूर की गई हैं तथा धारा 88 के तहत छूटों को घटाया गया है। पिछले अनुभव बताते हैं कि जब भी उत्पाद अथवा सीमा शुल्कों में कटौती की गई उद्योगों ने उनका लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया लेकिन जब भी इनमें वृद्धि की गई, उसे उपभोक्ताओं पर डाल दिया गया जिससे उनकी वास्तविक आय में गिरावट आई। देश का मध्यम वर्ग उसे कोई रियायत नहीं दिए जाने से नाखुश हो सकता है। मैं प्रसन्न हूं कि वित्त मंत्री ने तर्कसंगत बनाने एवं सरलीकरण के अलावा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करों में बड़े परिवर्तन नहीं सुझाए हैं। बार-बार परिवर्तन करने से भ्रम की स्थिति बनती है तथा कर ढांचे में विकृति आती है और कर अपवंचन, कर दायित्वों की उपेक्षा की गुंजाइश बनती है। कर कानूनों में जटिलता भी आती है। कर ढांचे को तार्किक आधार प्रदान किए जाने से 4500 करोड़ रुपए का शुद्ध राजस्व लाभ होगा। उत्पाद शुल्कों में वृद्धि से 6700 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ तथा सीमा शुल्कों में कटौती से 2200 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा इसका स्पष्ट संकेत है कि वित्तमंत्री विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के दिशा-निर्देशों की पालना कर रहे हैं तथा शीघ्र ही भारतीय उद्योग को अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ेगा। भारतीय उद्योग को आज सीखने, अपना अस्तित्व बचाए रखने तथा देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना उन्नयन करना चाहिए। यदि यह अब भी ऐसा नहीं करेगा तो इसे भविष्य में अधिक गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ेगा तथा उद्योग का ही नहीं बल्कि समूची अर्थव्यवस्था का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। कृषि, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक निवेश, राज सहायता में कटौती तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों को तर्कसंगत बनाने की मांग उद्योग, बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री तथा सूचना माध्यम पुरजोर तरीके से करते रहे हैं। वित्तमंत्री ने बजट में इन सभी की राय का सम्मान किया है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा क्षमता बढ़ाने में रुचि दिखाई है। पिछले बजट भाषण में घोषित दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने वही सब कुछ किया, जिनकी मांग हर कोई कर रहा था, जैसे कृषि सुधार, बुनियादी ढांचे में निवेश, राज सहायता में कटौती, कर ढांचे को तार्किक बनाना आदि। पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासनिक मूल्य तन्त्र की समाप्ति कर इसमें सरकार के पूर्ण एकाधिकार की समाप्ति तथा उदारीकरण की प्रक्रिया के जरिए पूंजी खाते की परिवर्तनीयता को वित्तमंत्री की बाजारोन्मुख भंगिमा माना जा सकता है।

फिर भी इसका स्वागत क्यों नहीं हुआ। ऐसा इसलिए कि उच्च मध्यम वर्ग एवं धनी लोगों को अब ज्यादा कर अदा करना पड़ेगा। लघु बचतों पर ब्याज दर में आधा फीसदी की कटौती, धारा 88 के तहत छूट को 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने, न्यूनतम छूट सीमा में वृद्धि नहीं करने, निजी एवं निगमित करों में कोई बदलाव नहीं करने, 2 फीसदी के गुजरात भूकम्प अधिभार के स्थान पर 5 फीसदी का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिभार लगाने, कुछ वस्तुओं पर 8 फीसदी के बजाए 16 फीसदी उत्पाद शुल्क लगाने, कुछ वस्तुओं पर पहली बार चार फीसदी उत्पाद शुल्क लगाने, सेवा कर का दायरा बढ़ाने तथा रसोई गैस सिलेण्डर का मूल्य बढ़ाने से सम्पन्न लोगों पर ही ज्यादा भार पड़ेगा।इस बजट की पिछले वर्ष के बजट के मुकाबले ज्यादा सराहना होनी चाहिए। पिछले बजट में अनेक अन्तर्निहित कमजोरियां थीं, जो इस वर्ष के आर्थिक सर्वे में पर्याप्त रूप से परिलक्षित हुई हैं। लेकिन इसे शत-प्रतिशत अंक देते हुए सराहा गया था। वास्तव में हर क्षेत्र केवल अपना फायदा-नुकसान ही देखता है। इसलिए वास्तविक आकलन नहीं हो पाता। कुल मिलाकर, यह एक अच्छा बजट है क्योंकि इससे मांग बढ़ेगी, निवेश प्रोत्साहित होगा तथा अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में तेजी आएगी।